



UPRB010036732026

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी-श्री अनिल कुमार पंचम, (उ० प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP6045
प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-1552/2026

1-सन्तोष निर्मल पुत्र राधेश्याम उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी पूरेधनऊ मजरे खेतीधन थाना डीह जनपद रायबरेली।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1-राज्य उ०प्र० द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या-73/2026

अंधारा-109(2), 3(4) बी.एन.एस.

व 9/25/27 आर्म्स एक्ट

थाना-डीह, जनपद-रायबरेली

दिनांक-30.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **सन्तोष निर्मल** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या-73/2026 अन्तर्गत धारा-109(2), 3(4) भारतीय न्याय संहिता व 9/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना-डीह, जनपद-रायबरेली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षिप्त: इस प्रकार है कि, "दिनांक 04-05.5.26 को जल जीवन मिशन के इकोटोन प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम के लूट करने वाले गिरोह के सदस्य घटना में प्रयुक्त वाहन फोर्ड फीगो नं० UP33S7253 हरा रंग में लूटे गये माल को लेकर बेचने के लिए कस्बा डीह होते हुए फुर्सतगंज जनपद अमेठी की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर, उक्त वाहन का कस्बा डीह की तरफ से पीछा/चेंकिंग करना बताया गया। चालक द्वारा हड़बड़ाहट में अचानक सड़क की बांयी पटरी पर रोककर गाड़ी मोड़ने की कोशिश करने लगा कि आगे गड्ढा होने के कारण अचानक गाड़ी बन्द हो गयी तो गाड़ी में बैठे सभी व्यक्ति ने हम पुलिस वालों को देखकर एक राय होकर ललकारा कि ये पुलिस वाले हैं गोली मार दो इस पर ड्राइविंग सीट व उसकी बगल वाली सीट से दोनों व्यक्तियों द्वारा गेट खोलकर अलग अलग दिशा में भागते हुए ड्राइवर चालक की बगल सीट पर बैठा व्यक्ति मेरी टीम पर और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने पीछे से आयी पुलिस टीम पर निशाना लगाकर जान से मारने की नियत से फायर किया जो संयोगवश हम पुलिस वालों के बगल से निकल गयी जिससे हम पुलिस वाले बाल बाल बच गये आत्मरक्षार्थ में मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा करीब 20 कदम की दूरी से अपनी सरकारी पिस्टल से ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को जो पुनः कारतूस तमंचे में लोड कर रहा था कि आत्मरक्षार्थ रोकने की नियत से कमर के नीचे फायर किया जो उसके दाहिने पैर में लगी जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने दूसरी टीम के उ० नि० शिवम जायसवाल आदि पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया था घेरावंदी की बजह से वह भी तमंचा तानकर निशाना लगाकर मेरी तरफ झाड़ियों का आड़ लेकर आगे बढ़ा कि मेरे द्वारा अपनी व साथी पुलिस बल की सुरक्षार्थ उसके कमर के नीचे की तरफ फायर किया जो उसके बायें पैर में लगी कि हम सभी पुलिस वाले सिखलाये गये तरीके से उनके गिरने पर पुनः फायर न करने का

मौका देते हुए उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। हिकमत अमली से पूछताछ की गयी तो सभी ने बताया कि हमने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कस्बा डीह में स्थित जलजीवन मिशन के गोदाम के पीतल की टोटी चोरी करने की योजना बनाई थी। मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी में 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी में 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी।"

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र संक्षिप्त: इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है। उसे अपराध उपरोक्त में गलत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने तथाकथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है और न ही अपराध उपरोक्त में किसी प्रकार की संलिप्तता है। तथाकथित घटना रात की बतायी जा रही है जिसका कोई स्वतन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुयी है, जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह झूठी, बनावटी, मनगढन्त है बरामदगी का कोई निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त ने न तो किसी के ऊपर कोई फायरिंग की और न ही कोई फायरआर्म प्रार्थी/अभियुक्त से बरामद किया गया है। तथाकथित घटना में पुलिस को किसी प्रकार से कोई चोट नहीं आयी है न ही उनका किसी प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 109(1) का कोई अपराध नहीं बनता है। स्थानीय पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त को राजनैतिक रंजिश के कारण उसके घर से पकड़ कर गिरफ्तार कर फर्जी तरीके से गिरफ्तारी की है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार न किया गया तो उसको पढाई व जीवन अंधकारमय हो जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का इसके पूर्व कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2026 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06-05-2026 से जिला कारागार रायबरेली में निरुद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी सत्र न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय में न दिया गया है न विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानते देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा न ही गवाहों को किसी प्रकार प्रभावित करेगा, विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। अतः अपराध उपरोक्त में प्रार्थी/अभि० का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2026 को गोदाम में घुस कर चौकीदारों के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एवं चौकीदारों के फोन लूटने तथा गिरफ्तारी के समय ही मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी में 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी में 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी थी। अभियुक्त जमानत पर

रिहा किया गया तो जमानत की शर्तों का दुरुपयोग करने व फरार होने तथा साक्ष्य व साक्षियों को प्रभावित करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला सहायक लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

उल्लेखनीय है कि, प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2026 को गोदाम में घुस कर चौकीदारों के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एवं चौकीदारों के फोन लूटने का कथन किया गया तथा गिरफ्तारी के समय ही मौके पर फोर्ट फीगो कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी में 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी में 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215 अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामदगी होने का उल्लेख किया गया।

केस डायरी संख्या -1 के पृष्ठ संख्या 32-33 पर वादी जितेन्द्र मोहन सरोज द्वारा अपने धारा 180 भा०ना०सु०सं० के बयान में कथन किया गया है कि, " चालक सीट पर एवं उसके बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने हम पुलिस वालों को देखकर ललकारा कि ये पुलिस वाले हैं गोली मार दो और दोनों द्वारा गेट खोलकर अलग अलग दिशा में भागते हुए ड्राइवर चालक की बगल सीट पर बैठा व्यक्ति मेरी टीम पर और चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने पीछे से आयी पुलिस टीम पर निशाना लगाकर जान से मारने की नियत से फायर किया... आत्मरक्षार्थ में ... अपनी सरकारी पिस्टल से ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति को जो पुनः कारतूस तमंचे में लोड कर रहा था कि आत्मरक्षार्थ रोकने की नियत से कमर के नीचे फायर किया जो उसके दाहिने पैर में लगी जबकि दूसरा व्यक्ति जिसने दूसरी टीम के उ०नि० शिवम जायसवाल आदि पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किया था घेराबंदी की बजह से वह भी तमंचा तानकर निशाना लगाकर मेरी तरफ झाड़ियों का आड़ लेकर आगे बढ़ा कि मेरे द्वारा अपनी व साथी पुलिस बल की सुरक्षार्थ उसके कमर के नीचे की तरफ फायर किया जो उसके बायें पैर में लगी.... उनका नाम पता पूछा गया तो अक्षत मिश्रा....मोहित आर्या....संतोष निर्मल... अभिषेक... अरविन्द प्रजापति... .. हम लोग डर गये थे जिस कारण मोहित और अक्षत ने आप लोगों पर फायर कर दिया। आज हम लोग अपने हिस्से की टोटियों को उनकी पन्नी से अलग करके बोरियो में भरकर बेचने के लिए फुरसतगंज ले जा रहे थे तथा कुछ टोटियां हमारे साथी हमारे साथी प्रयागराज साहू के साथ ई-रिक्शा लोडर नं० UP33CT6810 से पांच बोरियो में लूटी गयी टोटी लेकर रायबरेली बेचने के लिए जा रहा है। "

केस डायरी संख्या-1 के पृष्ठ संख्या 11 पर अवलोकन नकल फर्द में अंकन किया गया है कि, "..... मौके पर फोर्ट फी सूचना पूर्व से मामूरशुदा टीम उ०नि० मोहित कुमार शर्मा, उ०नि० शुभम शर्मा, का० शुभम कार से सभी बोरियो को निकलवाकर गिनती करायी गयी तो पहली जूट की बोरी में 153 अदद पीतल टोटी दूसरी बोरी में 188 अदद पीतल की टोटी तीसरी प्लास्टिक की बोरी में 192 अदद पीतल की टोटी चौथी जूट की बोरी में 172 अदद पीतल की टूटी पांचवी एक प्लास्टिक की बोरी में 215

अदद पीतल की टोटी कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी।"

वादी मुकदमा के बयान तथा केस डायरी में फर्द साक्षियों के बयान अं० धारा 180 भा०ना०सु०सं० से अभियोजन कथानक को पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा, अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मिलकर, गोदाम में घुस कर चौकीदारों के साथ मार पीट कर बन्धक बना कर गोदाम में रखी पीतल की टोटिया एवं चौकीदारों के फोन लूटने का कथन किया गया है, जिसमें तलाशी करने पर कुल 920 अदद पीतल की टोटी बरामद हुयी थी। थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के समय पुलिस बल को देखकर मामले के अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर करने जैसा आपराधिक कृत्य किया गया। मौके पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त है। अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में जिन विसंगतियों को दर्शित करने का प्रयास किया गया है, वे साक्ष्य के विश्लेषण से सम्बन्धित हैं। अभियुक्त द्वारा साक्षियों को डराये धमकाये जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **सन्तोष निर्मल** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या-73/2026 अन्तर्गत धारा-109(2),3(4) भारतीय न्याय संहिता व 9/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना-डीह, जनपद-रायबरेली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

(अनिल कुमार पंचम)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

(Stenographer)
Maneesha Kumari